

राजस्थान सरकार

## आयुक्तलाय कॉलेज शिक्षा ,राजस्थान ,जयपुर

क्रमांक एफ 7 (4) अकाद / आकाशि / 2020 / 929-932

दिनांक:12 अप्रैल 2020

समस्त प्राचार्य ,  
राजकीय एवं निजी महाविद्यालय,  
राजस्थान

विषय - सत्र 2019-20 के ग्रीष्मावकाश में आंशिक संशोधन बाबत ।

महोदय,

कोरोना महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार से जारी निर्देशों की अनुपालना में , आयुक्तलाय कॉलेज शिक्षा जयपुर द्वारा पूर्व में जारी सत्र 2019-2020 के ग्रीष्मावकाश से सम्बन्धित आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि ग्रीष्मावकाश की अवधि 1 मई 2020 से 30 जून 2020 के स्थान पर 16 अप्रैल 2020 से 31 मई 2020 तक रहेगी।

इस हेतु सक्षम स्तर से अनुमति ले ली गयी है ।



डॉ दीपक मेहरा  
संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 निजी सचिव,माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा राजस्थान जयपुर
- 2 निजी सचिव , शासन सचिव ,उच्च शिक्षा विभाग ,जयपुर
- 3 निजी सचिव ,आयुक्त,कॉलेज शिक्षा विभाग ,जयपुर
- 4 वेब प्रभारी , आयुक्तलाय कॉलेज शिक्षा को अपलोड करने हेतु।



डॉ दीपक मेहरा  
संयुक्त निदेशक